न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी सी.आर. मीना, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 41/2019 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड, रजिस्टर्ड पता:– 102 कंचन अपार्टमेंट अपोजिट एल. बी.एस. कॉलेज, तिलक नगर, जयपुर, शाखा कार्यालय सीकर (राज.)।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. गोपाल सिंह गुर्जर पुत्र सरदारा सिंह गुर्जर, (ऋणी/बंधककर्त्ता)
पता:– 05, महार कॉलोनी, मेहरा की ढ़ाणी, तहसील खण्डेला, बरसिंहपुरा, जिला सीकर राजस्थान।

2. नरेश पाल गुर्जर पुत्र गोपाल सिंह गुर्जर (सहऋणी)
पता:– महार कॉलोनी, मेहरा की ढ़ाणी, तहसील खण्डेला, बरसिंहपुरा, जिला सीकर राजस्थान।

3. भंवर लाल गुर्जर पुत्र सरदारा राम गुर्जर, (सहऋणी/बंधककर्ता)
पता:– महार कॉलोनी, मेहरा की ढ़ाणी, तहसील खण्डेला, बरसिंहपुरा, जिला सीकर राजस्थान।

4. मंगेजराम पुत्र सरदारा राम (सहऋणी/बंधककर्ता)
पता:– महार कॉलोनी, मेहरा की ढ़ाणी, तहसील खण्डेला, बरसिंहपुरा, जिला सीकर राजस्थान।

5. श्रवण गुर्जर पुत्र रामेश्वर गुर्जर, (जमानती)
पता:– गुर्जरों का मौहल्ला, मेहरा की ढ़ाणी, बरसिंहपुरा, जिला सीकर राजस्थान।

अप्रार्थीगण

Web Copy / Not Official

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

निर्णय दिनांकः 09 सितम्बर, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **महेश शर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **गोपाल सिंह गुर्जर, नरेश पाल गुर्जर, भंवर लाल गुर्जर, मंगेजराम, श्रवण गुर्जर** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **गोपाल सिंह गुर्जर, भंवर लाल गुर्जर, मंगेजराम पुत्रगण सरदार राम गुर्जर की सम्पति जो कि प्लॉट मेहरा की ढ़ाणी, ग्राम पंचायत दायरा, तहसील खण्डेला, जिला सीकर राजस्थान में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग हैं, जिसकी माप 567.18 वर्गगज है। जिसकी चारों सीमाएं पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में 3 फिट भूमि के बाद हरफूल का घर, उत्तर में शंकर पुत्र नाथूराम का घर, दक्षिण में जगदीश पुत्र बोदूराम का घर स्थित** है, को बंधक रखकर **19,00,000/**—रूपये (अक्षरे रूपये **उन्नीस लाख**) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **14.03.2019** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये एवं स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री बलदेव सिंह खण्डेला ने वकालतनामा पेश किया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **14.03.2019** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी कर जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति एवं समाचार पत्र मे प्रकाशित किया गया है, जिसकी फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **गोपाल सिंह गुर्जर, नरेश पाल गुर्जर, भंवर लाल गुर्जर, मंगेजराम, श्रवण गुर्जर** की ओर

जिस्ट्रेट, सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक गोपाल सिंह गुर्जर, भंवर लाल गुर्जर, मंगेजराम पुत्रगण सरदार राम गुर्जर की सम्पति जो कि प्लॉट मेहरा की ढ़ाणी, ग्राम पंचायत दायरा, तहसील खण्डेला, जिला सीकर राजस्थान में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग हैं, जिसकी माप 567.18 वर्गगज है। जिसकी चारों सीमाएं पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में 3 फिट भूमि के बाद हरफूल का घर, उत्तर में शंकर पुत्र नाथूराम का घर, दक्षिण में जगदीश पुत्र बोदूराम का घर स्थित है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालाना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

आदेश आज दिनांकः 09 सितम्बर, 2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी.आर. मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner